

तत्काल
तिथिबद्ध

क्रमांक 46/5/1993-5पोल

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. आयुक्त, अम्बाला, करनाल, फरीदाबाद, रोहतक, गुडगाँवा तथा हिसार मण्डल ।
2. हरियाणा के सभी उपायुक्त ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 19 सितम्बर, 2019.

विषय: 23 सितम्बर, 2019 को 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' मनाने बारे ।

<<0>>

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 9/5/82-पोल (5पी) दिनांक 28 जुलाई, 1982 की ओर दिलाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 23 सितम्बर का दिन 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' के रूप में गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जायें और इस दिन प्रत्येक जिले में जनसभायें, समारोह, गोष्ठियाँ आदि आयोजित करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जायें । शहीदों के परिवारों तथा युद्ध में वीरता पुरस्कार पाने वालों की स्मृति चिन्ह आदि भेंट कर यथावत् सम्मानित किया जाये । इस समारोह में स्वतन्त्रता सेनानियों एवं कारगिल के योद्धाओं को भी आदरपूर्वक आमन्त्रित किया जायें ।

2. आपसे अनुरोध है कि इन समारोहों के आयोजन बारे जिला स्तर पर भली-भांति प्रचार किया जाये तथा समारोहों के आयोजन का प्रैस को भी पूर्ण विवरण दिया जायें ।

भवदीय


उप सचिव राजनैतिक,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।


उप सचिव राजनैतिक,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

हरियाणा राज्य के सभी प्रशासकीय सचिव ।

अशा: क्रमांक 46/5/1993-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 19 सितम्बर, 2019

पृ० क्रमांक 46/5/1993-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 19 सितम्बर, 2019.

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-

1. एक-एक प्रति मुख्य मंत्री / मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ अतिरिक्त प्रधान सचिव/ उप प्रधान सचिव (आशिमा बराड)/ विशेष कार्य अधिकारी (अमरजीत सिंह)/ विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/ प्रधान विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर), राजनैतिक सचिव (दीपक मंगला) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/ मंत्रीगण/ मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के विशेष वरिष्ठ सचिवों/ वरिष्ठ सचिवों/ सचिवों/ निजी सचिवों को मुख्य मंत्री/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ अतिरिक्त प्रधान सचिव / उप प्रधान सचिव (आशिमा बराड) / विशेष कार्य अधिकारी (अमरजीत सिंह)/ विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/ विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर), राजनैतिक सचिव (दीपक मंगला), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा / मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण/ मुख्य सचेतक/ मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के सूचनार्थ भेजी जाती है ।

2. अवर सचिव, हरियाणा सरकार, न्यायाचार एवं प्रचार विभाग ।

उप सचिव राजनैतिक,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ० क्रमांक 46/5/93-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 19 सितम्बर, 2019

एक प्रति महानिदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

उप सचिव राजनैतिक,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ० क्रमांक 46/5/93-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 19 सितम्बर, 2019

एक प्रति विशेष वरिष्ठ सचिव, मुख्य मंत्री महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

उप सचिव राजनैतिक,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।